



भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
कार्यालय प्रधाननिदेशक लेखा परीक्षा (केन्द्रीय), चंडीगढ़

Indian Audit & Accounts Department
Office of The Principal Director of Audit (Central), Chandigarh

Date: 24.07.2026

No.PDA(C)/e-HRMS& S.B./2026-27/4

कार्यालय आदेश

नियम एस.आर. 202 के अन्तर्गत वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पद तक के सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक वर्ष अपनी सेवा पंजिकाओं में समीक्षा उपरांत हस्ताक्षर किये जाने अनिवार्य होते हैं। सेवा पंजिका की समीक्षा उपरांत हस्ताक्षर करने के लिए अधिकारी/कर्मचारी दिनांक 05.08.2026 तक सांयकाल 3.00 से 4.00 के बीच ई.एच.आर.एम.एस. एवं से.पं. अनुभाग में आ सकते हैं।

मुख्यालय पर तैनात सभी वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी/सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों से अनुरोध है कि उनके अधीन फील्ड स्टाफ के अधिकारियों/कर्मचारियों को भी इस सम्बन्ध में निर्देश जारी किये जाये।

यह आदेश निदेशक (प्रशासन) की अनुमति से जारी किया गया है।

हस्ताक्षर (—)
वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी,
(ई.एच.आर.एम.एस एवं से.पं.)

No.PDA(C)/eHRMS& S.B./2026-27/122-132

Date: 24.07.2026

प्रति :-

1. सचिव (महानिदेशक)
2. वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी (प्रशासन-I, III, कार्यालय स्थापना-I, III)
3. वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी (ई.डी.पी) को सूचनार्थ कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
4. वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी (मुख्यालय प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, केन्द्रीय व्यय)
5. वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी (आई.टी.ए.)
6. सूचना पट

हस्ताक्षर 24/07/26
वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी,
(ई.एच.आर.एम.एस एवं से.पं.)

